



2026:AHC:64486

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6719 वर्ष 2026

इश्तेयाक @ लल्लू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सैयद मोहम्मद जाफर हुसैन, सैयद वाजिद अली

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद मोहम्मद जाफर हुसैन, श्री बी.पी. सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन संख्या 43 वर्ष 2025 आवेदक इश्तेयाक @ लल्लू की ओर से दायर किया गया है, जिसमें धारा 340(2), 336(3), 308(6), 3(5), 338, 319(2), 318(2) बीएनएस और धारा 66सी, 66डी आईटी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम और धारा 20 और 21 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम, जिला फतेहपुर में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दर्ज किए गए के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-आरोपी राम जी गुप्ता को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5738 2026 में पारित दिनांक 10.3.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी धर्मेन्द्र शाहू के बयान में सामने आई है, जिसे जियो के सिम कार्ड बेचने के लिए अधिकृत एजेंट कहा जाता है और उसके द्वारा यह कहा गया है कि आवेदक उससे सिम कार्ड खरीदता था। आवेदक, जो 1.1.2026 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि वह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

5. ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

6. सह-आरोपी राम जी गुप्ता को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5738 में पारित दिनांक 10.3.2026 के आदेश द्वारा जमानत दे दी जा चुकी है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी धर्मेन्द्र शाहू के बयान में सामने आई है, जिसे जियो के सिम कार्ड बेचने के लिए एक अधिकृत एजेंट कहा जाता है और उसके द्वारा यह कहा गया है कि आवेदक सिम खरीदता था उससे कार्ड। आवेदक, जो 1.1.2026 से जेल में बंद है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. तथ्यों, प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- **इश्तेयाक @ लल्लू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से, ट्रायल कोर्ट के समक्ष (i) मामले की सुनवाई (ii) प्रभार तैयार करना और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत वक्तव्य दर्ज करना के लिए निर्धारित तारीखों पर उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

मार्च 24, 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”